



2026:AHC:68157

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 3293 वर्ष 2026

आसिफ इकबाल और 3 अन्य अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य प्रतिपक्षी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता: मनीष कुमार

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 53

माननीय न्यायमूर्ति श्री अब्दुल शाहिद

1. अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता को सुना।
2. प्रस्तुत आपराधिक अपील दिनांक 08.01.2026 के आक्षेपित निर्वहन आदेश के साथ-साथ आपराधिक प्रकीर्ण संख्या-1465 वर्ष 2019 में द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गौतम बुद्ध नगर द्वारा पारित समन आदेश दिनांक 05.12.2019 के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें धारा 406, 420, 467, 468, 471, 323, 504, और 506 भ०द०वि० और एस.सी./एस.टी. अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(5), थाना-इकोटेक-III, जिला गौतम बुद्ध नगर के तहत दायर किया गया है।
3. अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि दिनांक 05.12.2019 का आक्षेपित समन आदेश और साथ ही दिनांक 08.01.2026 का आक्षेपित आदेश अवैध, मनमाना है और कानून के अनुसार नहीं है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलकर्ताओं ने कोई अपराध नहीं किया है और वे मुक्ति के हकदार हैं।
4. प्रतिपक्षी संख्या-2/शिकायतकर्ता ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ धारा 406, 420, 467, 468, 471, 323, 504 और 506 भ०द०वि० और एस.सी./एस.टी. अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(5) के तहत शिकायत दर्ज की। शिकायतकर्ता ने शिकायत में कहा है कि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपीलकर्ता मेसर्स एमटीए इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं। शिकायतकर्ता ने 28.03.2014 को एक पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से खाता संख्या-503, गाटा संख्या-796, गांव सुथियाना, परगना दादरी, तहसील और जिला गौतम बुद्ध नगर में स्थित 75 वर्ग गज (यानी, 62.70 वर्ग मीटर) का एक भूखंड खरीदा। शिकायतकर्ता ने चेक और नकद के माध्यम से कुल 5,90,000/- रुपये का भुगतान किया, जो अपीलकर्ताओं को 25.03.2015, 26.03.2015 और 31.03.2015 को प्राप्त हुआ था।

5. फर्म के एक निदेशक आसिफ द्वारा प्रतिपक्षी संख्या-2 के पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित किया गया था, जिसमें 4,38,000/- रुपये की बिक्री का उल्लेख किया गया था। 18.10.2015 को, जब शिकायतकर्ता ने अपने दोस्त अमृतेश के साथ निर्माण शुरू करने के लिए भूखंड का दौरा किया, तो रवींद्र सिंह के बेटे ऋषिपाल ने उनसे मुलाकात की और जमीन के स्वामित्व का दावा किया, जिससे शिकायतकर्ता को कोई भी निर्माण करने से रोक दिया गया।

6. इसके बाद, शिकायतकर्ता ने निदेशकों से संपर्क किया, जो एक स्कॉर्पियो वाहन संख्या-डीएल-12-सीए-3949 में घटनास्थल पर पहुंचे। निदेशकों और ऋषिपाल के बीच एक चर्चा हुई, जिसके दौरान शिकायतकर्ता को पता चला कि जमीन ऋषिपाल की है। शिकायतकर्ता ने 5,90,000/- रुपये वापस करने की मांग की। इसके बाद, तालीबुद्दीन अहमद के सभी बेटों आसिफ इकबाल, समैउल्ला अहमद, अतिनुल्ला अहमद और अमरुल्ला ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता को गाली दी, जाति-आधारित टिप्पणी की और उस पर लात-घूंसे मारे।

7. जांच के बाद अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। अपीलकर्ताओं ने 21.05.2025 को डिस्चार्ज अर्जी दायर की, जिसे 08.01.2026 को खारिज कर दिया गया।

8. मामले के तथ्यों के अनुसार, ऋषिपाल ने 27.11.2013 को अपीलकर्ताओं के पक्ष में एक पंजीकृत बिक्री विलेख निष्पादित किया था। इसके बाद, अपीलकर्ताओं ने 28.03.2014 को प्रतिपक्षी संख्या-2 के पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित किया। हालांकि, अपीलकर्ता कथित तौर पर 27.11.2013 के बिक्री विलेख के लिए ऋषिपाल को उचित बिक्री प्रतिफल का भुगतान करने में विफल रहे। नतीजतन, ऋषिपाल ने 23.07.2014 को

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपीलकर्ताओं के खिलाफ मूल वाद संख्या-94 वर्ष 2014 दायर किया, जिसे 28.01.2015 को उनके पक्ष में एकपक्षीय घोषित किया गया। इसके बाद, अपीलकर्ताओं ने 23.10.2024 को उक्त एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने के लिए आदेश IX नियम 13 सी.पी.सी. के तहत एक आवेदन दायर किया, जो अभी भी दीवानी न्यायालय के समक्ष लंबित है।

9. प्रथम दृष्टया, ऐसा प्रतीत होता है कि 27.11.2013 को अपीलकर्ताओं के पक्ष में ऋषिपाल द्वारा निष्पादित बिक्री विलेख को मूल वाद संख्या-94 वर्ष 2014 में दीवानी न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया है। अपीलकर्ताओं ने न तो बिक्री का प्रतिफल वापस किया और न ही शिकायतकर्ता के खिलाफ कथित रूप से दुर्व्यवहार, मारपीट और जाति-आधारित टिप्पणी करने से परहेज किया। उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है।

10. उपरोक्त तथ्यों, कारणों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विचारण न्यायालय ने दिनांक 08.01.2026 के विस्तृत, तर्कसंगत और बोलने वाले आक्षेपित आदेश के माध्यम से अपीलकर्ताओं के निर्वहन आवेदन को खारिज कर दिया है।

11. आक्षेपित आदेश में न तो कोई अवैधता है और न ही अनियमितता है।

12. आपराधिक अपील खारिज की जा सकती है और तदनुसार **खारिज** की जाती है।

मार्च 31, 2026

के.के. मौर्य

(न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद)